जीविका
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

जीविका समाचार पत्रिका

।। माह – फरवरी 2022 ।। अंक – 19 ।। केवल आंतरिक वितरण हेतु।।

अन्दर के पृष्ठों में...

नीरा उत्पादन से आया जिन्दगी में बदलाव (पृष्ठ – 02)

कस्टम हायरिंग सेंटर से महिला किसानों के लिए खेती हुई आसान (पृष्ठ – 03)

कृषि यंत्र बैंक: उन्नत और लाभकारी खेती को मिला बढ़ावा (पृष्ठ – 04)

जीविका के माध्यम से नीरा उत्पादन को मिल रहा प्रोत्साहन

बिहार में अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाद से ही ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री पर भी प्रतिबंध लग गया है। ऐसे में ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री से परम्परागत रूप से जुड़े परिवारों के समक्ष रोजगार का संकट उत्पन्न न हो, इसके लिए उन्हें ताड़ी के बदले नीरा का उत्पादन और विक्रय करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। ताड़ी की तुलना में नीरा का उत्पादन एवं बिक्री अपेक्षाकृत अधिक लाभकारी होने के साथ ही इसका सेवन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बेहतर माना गया है। यही कारण है कि सरकार ताड़ी पर प्रतिबंध लगाते हुए नीरा को प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए जीविका द्वारा पुर्व में ताड़ी के व्यवसाय से जुड़े परिवारों को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें नीरा तथा इसके सह–उत्पाद तैयार करने पर बल दिया जा रहा है।

नीरा क्या है: ताड़ या खजूर के वृक्षों के निकलने वाले ताजे–मीठे रस को नीरा कहा जाता है। जब यही रस काफी देर तक बाहर खुले में रह जाता है तो इसमें फर्मेंटेशन यानी खमनीकरण होने लगता है, तब यह ताड़ी बन जाता है। नीरा पीने में मीठा होता है जबकि ताड़ी खट्टा और नशीला होता है। नीरा को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से गुणकारी माना गया है। नीरा का सेवन करने से कब्ज एवं पेट संबंधी समस्या दूर होने के साथ ही यह खून की कमी वाले रोगियों के लिए भी फायदेमंद होता है। इसके अलावा पीलिया एवं डायबिटीज के रोगियों के लिए भी इसे लाभकारी माना गया है। नीरा में भरपूर मात्रा में पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। इसमें 84.7 फीसदी जल तथा लगभग 14 फीसदी कोर्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। इसके अलावा 0.66 फीसदी मिनरल्स, 0.10 फीसदी प्रोटीन और 0.17 फीसदी वसा होता है। साथ ही इसमें विटामिन सी और विटामिन बी भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद होता है। औसतन 100 मिली नीरा के सेवन से लगभग 110 कैलोरी एनर्जी मिलती है।

नीरा एवं इसके सह उत्पाद: नीरा को विभिन्न रूपों में इस्तेमाल किया जा सकता है। ताड़ या खजूर के वृक्षों के निकलने वाले ताजे–मीठे रस को सीधे नीरा के रूप में सेवन करने के साथ ही इसके कई प्रकार के उत्पाद भी तैयार किए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से नीरा से गुड़, चीनी, पेड़ा, ताल मिश्री, कैण्डी आदि बनाए जाते हैं। इस गतिविधि से जुड़े परिवारों को नीरा के अलावा इसके सह–उत्पादों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नीरा को 110 डिग्री सेन्टीग्रेट पर उबालने और इस दौरान गंदगी को छानने तथा भूरा होने तक गाढ़ा करने के बाद पौष्टिक एवं स्वादिष्ट गुड़ तैयार होता है। एक किलोग्राम गुड़ बनाने के लिए लगभग 7 से 8 लीटर नीरा की आवश्यकता होती है।

नीरा उत्पादकों को प्रोत्साहित करने की नीति: ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री से जुड़े परिवारों को जीविका समूहों से जोड़ने के उपरान्त उन्हें नीरा उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया गया है। जीविका में नीरा उत्पादन पर बल देने के लिए नीतियां तैयार की गई है। इसके तहत ऐसे परिवारों को नीरा उत्पादक समूह से जोड़कर उन्हें नीरा एवं इससे जुड़े सह उत्पादों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही उत्पादक समूह को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने हेतु उन्हें प्रति उत्पादक समूह 1 लाख 15 हजार रुपये की आरंभिक पूंजीकरण निधि की राशि प्रदान की जाती है। इससे उत्पादक समूह से जुड़े परिवारों को नीरा उत्पादन के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने एवं व्यवसाय प्रारंभ करने में मदद मिलती है। इसके अलावा नीरा उत्पादकों को बाजार से जोड़ने के लिए भी पहल की गई है। गया, नालंदा एवं वैशाली जिले के नीरा उत्पादकों को कॉम्फेड के साथ जोड़ा गया है, जिससे उसके उत्पादों की बिक्री आसानी से हो सके। इस प्रकार नीरा स्वस्थ्यवर्द्धक होने के साथ ही इससे जुड़े परिवारों के लिए लाभकारी साबित तो रहा है।

'नीरा' एक स्वस्थ पेय

शराबबंदी के लिए सरकार के संकल्प को मजबूत करने का एक और कदम है नीरा। नीरा पोटेशियम, कैल्शियम और अन्य खनिजों से भरपूर एक वैकल्पिक स्वस्थ पेय साबित हुई है। पहले अर्क या जूस का इस्तेमाल आमतौर पर नशे के लिए किया जाता था। अब वही जब कुछ सावधानियों के साथ निकाला जाता है और संग्रहित किया जाता है और कोल्ड चेन सिस्टम को बनाए रखा जाता है तो इसे स्वस्थ पेय के रूप में उपयोग किया जाता है और इसे नीरा कहा जाता है। जीविका पश्चिम चंपारण ने जिले के प्रत्येक प्रखंड में बिक्री एवं भंडारण काउंटर खोला है। इसे 50 रुपये प्रति लीटर में बेचा जा रहा है। यह पहले ताड़ी उत्पादन से जुड़े परिवार के लिए आय का एक अच्छा स्रोत है। जैसा कि हम जानते हैं कि मार्च 2016 से सरकार द्वारा शराब और ताड़ी के सेवन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सीजन की शुरुआत के साथ बैरिया, नौतन, चनपटिया, मजहुलिया जैसे ब्लॉकों ने विभिन्न उत्पादकों के माध्यम से नीरा का उत्पादन, बिक्री और भंडारण शुरू कर दिया है।

जिला परियोजना समन्वयन इकाई ने नीरा को सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए एक लोकप्रिय स्वस्थ पेय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। नीरा मधुमेह रोगी के लिए अच्छा है। पीलिया को ठीक करने में मदद करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है और पूरे दिन ताजगी सुनिश्चित करता है। डीपीसीयू पश्चिम चंपारण ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से नीरा के फायदे के प्रचार–प्रसार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभिन्न स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों ने व्यापक रूप से नीरा को एक स्वस्थ पेय के रूप में प्रचारित किया है, जो बाजार में उपलब्ध सभी शीतल पेय के विकल्प के रूप में है।

नीरा उत्पादन से आया जिन्दगी में बदलाव

अनीता देवी जलकौड़ा पंचायत खगड़िया सदर प्रखंड की रहने वाली हैं। अनीता दीदी संध्या समूह से जुडी हैं जो उपकार संकुल संघ में आता है। दीदी के पति का नाम महेश चौधरी है। महेश चौधरी कोई काम नहीं करते हैं। दीदी पर ही घर को चलाने की जिम्मेदारी है। दीदी को दो बच्चे हैं और उनके सास ससुर और देवर रहते हैं। अनीता दसवीं कक्षा तक पढ़ीं हैं। अनीता दीदी को पढाई में बहुत मन लगता था और वह पढ़ाई का महत्व काफी अच्छे से समझती हैं इसीलिए दीदी अपने बच्चों की पढाई पर विशेष रूप से ध्यान देती हैं। अपने घर–परिवार को चलाने और बच्चों को पढ़ाने के लिए दीदी मजबूरी में ताड़ी बेचती थी। ताड़ी बेचकर अनीता की अच्छी कमाई हो जाती थी परन्तु इसके कारण दीदी को सामाजिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था। शराबबंदी के कारण दीदी का यह काम भी छूट गया और दीदी बिल्कुल असहाय हो गयी। यह सोच कर कि अब उनका परिवार खाने को मोहताज हो जायेगा दीदी बिलकुल टूट गयी। जीविका में नीरा उत्पादन और बिक्री की योजना आई इससे कई परिवार को रोजगार का अवसर मिला। इसी योजना के तहत अनीता दीदी को भी जलकौड़ा स्थित नीरा के रोहिणी पीजी से जोड़ा गया। नीरा निर्माण के प्रशिक्षण के दौरान दीदी को नीरा से स्वास्थ्य को होने वाले फायदों के बारे में जानकारी मिली। अब दीदी ने नीरा उत्पादन एवं बिक्री शुरू कर दी। जो नीरा बाजार में 30 रूपये प्रति लीटर बिकता था वही नीरा पीजी में 40 रूपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचने लगी। अब दीदी को 10 रूपये प्रति लीटर ज्यादा मुनाफा होने लगा।

इससे होने वाली आमदनी से दीदी के परिवार का अच्छी तरह पालन पोषण होने लगा है और बच्चों की पढ़ाई भी शुरू हो गयी। अब दीदी को किसी तरह की सामाजिक कठिनाईयों का सामना भी नही करना पड़ता और आत्मसम्मान के साथ अपना काम मन लगा कर करती हैं। अपने जीवन में आये इस बदलाव के लिए वह जीविका को धन्यवाद देती हैं।

कृषि यंत्र बैंक की स्थापना से बढ़ी आमदनी

सुपौल जिले में जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े गरीब किसान परिवार अब आधुनिक कृषि यंत्रों से अपनी खेती करने लगे हैं। दरअसल जीविका से जुड़े किसान परिवारों के लिए आधुनिक एवं महंगे कृषि यंत्रों की पहुंच आसान करने के लिए जिले के 4 संकुल संघों द्वारा कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की गई है। इन कृषि यंत्र बैंकों में कल्टीवेटर, रोटावेटर, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर कम बाइन्डर, थ्रेसर, पंपसेट आदि उपकरण उपलब्ध हैं। इन सीएलएफ से जुड़े सदस्य अपनी आवश्यकतानुसार भाड़े पर इन कृषि यंत्रों का उपयोग कर रहे हैं। इससे खेती की लागत में कमी होने के साथ ही कृषि कार्यों को समय पर निष्पादित करना संभव हुआ है।

सुपौल जिले के 4 संकुल स्तरीय संघों– पिपरा प्रखंड स्थित नई दिशा सीएलएफ, छातापुर प्रखंड के गरिमा सीएलएफ, बसंतपुर प्रखंड के पंचमुखी सीएलएफ एवं प्रतापगंज के दिव्य ज्योति सीएलएफ में कृषि यंत्र बैंक की स्थापना जनवरी 2020 में की गई थी। इसके लिए कृषि विभाग से अनुदान प्राप्त हुआ था। खास बात यह है कि कृषि विभाग से प्राप्त अनुदान का चेक स्वयं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के हाथों इन संकुल संघ की जीविका दीदियों को सौंपा गया था। इसके अतिरिक्त दो अन्य संकुल संघों– मरौना प्रखंड के खुशी सीएलएफ एवं राघोपुर के प्रयास सीएलएफ में कृषि यंत्र बैंक की स्थापना प्रक्रियाधीन है।

पिपरा प्रखंड स्थित नई दिशा संकुल स्तरीय संघ की सदस्य और दीनापट्टी पंचायत की रहने वाली मुनरी देवी, सरिता कुमारी और नीलम देवी बताती है कि फसलों की कटाई एवं तैयारी में पहले काफी समय लगने के साथ ही अधिक पैसे खर्च होते थे। लेकिन अब इन यंत्रों के उपयोग से खेती की लागत घटी है और फसल की तैयारी में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। इससे फसल तैयार करते वक्त बारिश या मौसम खराब होने का भी डर नहीं रहता है। दूसरी तरफ, इन कृषि यंत्र बैंकों को संचालित करने वाले सीएलएफ की आमदनी बढ़ी है। यंत्रों के भाड़े से छातापुर के गरिमा सीएलएफ को अब तक कुल 1,45,708 रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है। वहीं बसंतपुर के पंचमुखी सीएलएफ को 1,03,600 रुपये, नई दिशा सीएलएफ को 43,850 रुपये और प्रतापगंज के दिव्य ज्योति सीएलएफ को 93,060 रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ है।

कस्टम हायरिंग सेंटर से महिला किसानों के लिए खेती हुई आसान

किशनगंज जिला के पोठिया और सदर प्रखंड के महिला किसानों के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर वरदान साबित हो रहा है। इससे उन्हें कृषि कार्य से जुड़े कठिन श्रम से जहाँ छुटकारा मिला है वहीं वे अब ससमय कृषि कार्य को कर पा रही हैं। जीविका के माध्यम से पारदर्शी तरीके से इन दोनों प्रखंड में कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) के लिए कृषि उपकरण खरीदे गए हैं। किशनगंज सदर प्रखंड में मोतिहारा ताल्लुका पंचायत अंतर्गत जयश्री महिला ग्राम संगठन तथा खुशी जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ, पोठिया प्रखंड में ये कस्टम हायरिंग सेंटर दिसंबर 2020 से कार्य कर रहा है। पोठिया सेंटर से दर्जनों महिला किसानों ने कृषि यंत्रों का लाभ लिया है। जिससे सीएचसी को लगभग 21 हजार रुपए की आमदनी हुई है। वहीं सदर प्रखंड के सीएचसी से जुड़ी महिला किसानों ने कृषि कार्य हेतु यंत्रों का इस्तेमाल किया। जिससे इस सेंटर को अब तक लगभग 17 हजार की आमदनी हुई है। दोनों सेंटरों को उचित मूल्य पर कृषि यंत्र मिल सके इसके लिए पारदर्शी तरीका अपनाया गया। जिला स्तरीय एक्सक्यूटिव कमिटी द्वारा अनुमोदन के पश्चात स्वीकृति पत्र संबंधित सीएलएफ और वीओ को भेजा गया। स्वीकृति पत्र मिलने के बाद संबंधित सीएलएफ और ग्राम संगठन में खरीदारी समिति की बैठक की गई। संबंधित कृषि यंत्रों की खरीद के लिए ऑपेन टेंडर निकाला गया। अखबार में विज्ञापन दिया गया। निश्चित तिथि को संबंधित सीएलएफ और ग्राम संगठन में खरीदारी समिति की फिर बैठक बुलाई गई। जिसमें प्राप्त सभी निविदा को देखा गया। खरीदारी समिति के सभी सदस्यों के सामने प्राप्त प्रत्येक निविदा में कृषि यंत्रों के लिए दिए गए दर को पढ़ा गया। तत्पश्चात निविदा में मांगे गए आवश्यक दस्तावेज की जाँच की गई। जाँच के उपरांत सबसे कम दर वाली कंपनी का चयन किया गया एवं कृषि यंत्रों की आपूर्ति का आदेश निर्गत किया गया।

कृषि यंत्र बैंक: उन्नत और लाभकारी खेती को मिला बढ़ावा

जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े अधिकांश परिवारों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि है। यही कारण है कि कृषि आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए परियोजना द्वारा अनेक प्रयास किए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से उन्नत विधि से खेती करने, कृषि कार्य में उन्नत तकनीक अपनाने हेतु प्रोत्साहन एवं जानकारी उपलब्ध कराने के अलावा जैविक उर्वरक एवं कीटनाशक के प्रयोगों को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि कार्य में आधुनिक उपकरणों के प्रयोग से खेती को उन्नत एवं लाभकारी बनाया जा सकता है। लेकिन इन परिवारों तक उन्नत कृषि यंत्रों की उपलब्धता नहीं हो पाने की वजह से उन्हें अभी भी परम्परागत तरीके से ही खेती करनी पड़ती है। दरअसल आधुनिक कृषि यंत्रों की लागत काफी अधिक होने की वजह से छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए कृषि यंत्र खरीद पाना संभव नहीं हो पाता था। यही कारण है कि जीविका समूह से जुड़े ऐसे किसान परिवारों में कृषि यांत्रिकीकरण को प्रोत्साहित करने एवं इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कस्टम हायरिंग सेंटर यानी कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की जा रही है। बहरहाल जीविका सम्पोषित संकुल संघ स्तर पर कस्टम हायरिंग सेंटर/कृषि यंत्र बैंक की स्थापना हेतु बिहार सरकार के कृषि विभाग एवं जीविका परियोजना द्वारा आर्थिक मदद पहुंचाई जा रही है। कृषि यंत्रों की खरीद एवं रखरखाव हेतु परियोजना द्वारा शुरुआत में 13 लाख 50 हजार रुपये उपलब्ध कराए जाते हैं। बाद में जिला स्तरीय कार्यपालक समिति की अनुशंसा के उपरांत कृषि विभाग द्वारा सामान्य कृषि यंत्रों की खरीद के लिए 80 प्रतिशत जबकि ट्रैक्टर की खरीद पर 40 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है।

कस्टम हायरिंग सेंटर का संचालन संकुल स्तरीय संघ द्वारा किया जाता है। यहां कृषि कार्य में उपयोग होने वाले सामान्य उपकरण रखे जाते हैं। इसमें खेती–बाड़ी में जुताई से लेकर फसल की तैयारी हेतु उपयोगी उपरकरण उपलब्ध हैं। इसमें मुख्य रूप ट्रैक्टर के अलावा कटाई एवं बोआई के यंत्र जैसे– कल्टीवेटर, रोटावेटर, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर कम बाइन्डर, ड्रम सीडर, थ्रेसर, जीरो टीलेज, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रील, रॉकर स्प्रेयर, हैप्पी सीडर, पंपसेट आदि उपकरण शामिल हैं। सीएलएफ से जुड़े सदस्य आवश्यकतानुसार इन यंत्रों को भाड़े पर लेकर कृषि कार्य में उपयोग करते हैं।

कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देना है। जहां से किसान भाड़े पर यंत्र लेकर उन्नत खेती कर सकें। कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना से गरीब जीविका दीदियों को कृषि से सम्बंधित आधुनिक उपकरण स्थानीय स्तर पर और सस्ती दरों पर आसानी से उपलब्ध हो रहा है। कृषि उपकरणों की उपलब्धता से दीदियों को कठिन शारीरिक श्रम से छुटकारा मिला है एवं समय पर खेती से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन हो रहा है। यह योजना ग्रामीण स्तर पर छोटे किसानों के लिए काफी लाभकारी सिद्ध हो रही है। इस तरह किसान परिवारों की आय में बढ़ोतरी होने के साथ ही कृषि कार्य में सुविधा हो रही है।

दूसरी तरफ, कस्टम हायरिंग सेंटर का संचालन करने वाले संकुल संघ या ग्राम संगठन को इन कृषि यंत्रों के किराये से अच्छी आमदनी हो रही है। बेहतर तरीके से कृषि यंत्रों का संचालन एवं रख–रखाब हेतु कस्टम हायरिंग सेंटर में परिसंपत्ति पंजी, कस्टम हायरिंग की बुकिंग पंजी, रसीद, रोकड़ पंजी, यंत्र मरम्मत पंजी व निरीक्षण पंजी का संधारण किया जा रहा है। इससे कस्टम हायरिंग सेंटर के संचालन में पारदर्शिता बरती जाती है एवं इसकी सतत् निगरानी की जाती है।

जीविका, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800021, वेबसाइट : www.brlps.in

संपादकीय टीम
- श्रीमती महुआ राय चौधरी –कार्यक्रम समन्वयक (जी.के.एम.)
- श्री पवन कुमार प्रियदर्शी – परियोजना प्रबंधक (संचार)

संकलन टीम
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, समस्तीपुर
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, पूर्णियाँ
- श्री बिप्लव सरकार – प्रबंधक संचार, कटिहार
- श्री विकास कुमार राव – प्रबंधक संचार, सुपौल
- श्री रौशन कुमार – प्रबंधक संचार, बक्सर
- सुश्री जूही – प्रबंधक संचार, खगड़िया